



2026:CGHC:9482

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका क्रमांक-536/2026

- ◆ तरुण चौहान पिता-स्वर्गीय एच.एस. चौहान, उम्र-लगभग 55 वर्ष, निवासी-मैत्री संघ के पीछे, कुम्हारपारा, जगदलपुर, छत्तीसगढ़

-----याचिकाकर्ता/पीड़ित

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना-कोतवाली, जगदलपुर छत्तीसगढ़, (राज्य)
2. बलराम दुबे पिता-लक्ष्मी नारायण दुबे, निवासी-बालाजी कॉलोनी, अघनपुर, जिला-बस्तर (अभियुक्त)

-----प्रत्यर्थीगण

---

|                                      |   |                                    |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| याचिकाकर्ता/पीड़ित द्वारा            | : | श्री मनीष निगम, अधिवक्ता ।         |
| राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक-1 द्वारा    | : | श्री आकाश अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता । |
| अभियुक्त/प्रत्यर्थी क्रमांक-2 द्वारा | : | सूचना प्रेषित नहीं ।               |

---

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! आदेश पीठ पर पारित !!

24/02/2026

1. प्रारंभिक स्तर पर उपस्थित पक्ष के तर्क श्रवण किए गए ।



2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत प्रस्तुत इस याचिका में, स्वयं पीड़ित द्वारा विचारण न्यायालय-तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक-51/2017 "छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध बलराम दुबे" में पारित आदेश दिनांक-16/01/2026 को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश के माध्यम से अभियुक्त पक्ष द्वारा धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता / धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रकरण के विवेचक श्रीमती अर्चना धुरंधर को प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः आहूत करने की अनुमति प्रदान की गई है। जिसे आगे संक्षेप में "प्रश्नाधीन आदेश" से संबोधित किया जा रहा है।
3. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि अभियुक्त बलराम दुबे द्वारा याचिकाकर्ता/पीड़ित तरुण चौहान (अ.सा.-4) पर चाकू से प्राणघातक हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें कारित हुईं। उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित कर विचारण किया जा रहा है।
4. मामले के तथ्यानुसार, पुनः आहूत विवेचक श्रीमती अर्चना धुरंधर का न्यायालयीन परीक्षण दिनांक 27/11/2025 को संपन्न हुआ था। इसके उपरांत याचिकाकर्ता/पीड़ित का न्यायालय में परीक्षण दिनांक 04/12/2025 को प्रारंभ किया गया, जो दिनांक 16/01/2026 को पूर्ण हुआ। अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि "प्रश्नाधीन आदेश" के अनुपालन में पुनः आहूत विवेचक श्रीमती अर्चना धुरंधर का पुनः प्रतिपरीक्षण दिनांक 05/02/2026 को किया जा चुका है।
5. याचिकाकर्ता/पीड़ित के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्हें अभियोजन का सहयोग करने हेतु न्यायालय से विधिवत अनुमति प्राप्त थी। दिनांक 16/01/2026 को उनका कथन



पूर्ण हुआ, और उसी दिन अभियुक्त पक्ष द्वारा धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन उनकी अनुपस्थिति में प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त आवेदन पर अभियोजन की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई तथा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही न्यायालय द्वारा साक्षी को पुनः आहूत करने की अनुमति दे दी गई। यह भी तर्क है कि इस प्रकार पारित आदेश विधि की दृष्टि में उचित एवं वैध नहीं है तथा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। फलतः “प्रश्नाधीन आदेश” विधिसम्मत नहीं माना जा सकता, और उसके अनुपालन में विवेचक श्रीमती अर्चना धुरंधर का दिनांक 05/02/2026 को किया गया प्रतिपरीक्षण भी विधि-सम्मत साक्ष्य नहीं है, इसलिए वह पढ़े जाने योग्य नहीं है। अतः “प्रश्नाधीन आदेश” अपास्त करते हुए याचिका स्वीकार की जाए।

6. राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक-1 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित “प्रश्नाधीन आदेश” पूर्णतः विधि-सम्मत एवं न्यायहित में पारित किया गया है। धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता / धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होने पर किसी भी साक्षी को पुनः आहूत करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है। वर्तमान प्रकरण में उक्त अधिकार का प्रयोग साक्ष्य की स्पष्टता एवं न्यायोचित निर्णय हेतु किया गया है तथा “प्रश्नाधीन आदेश” में पुनः आहूत साक्षी का पुनः प्रतिपरीक्षण भी हो चुका है। अतः याचिका निरस्त की जाए।
7. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि विवेचक श्रीमती अर्चना धुरंधर का न्यायालयीन परीक्षण, मामले के अन्य साक्षी—चिकित्सक के०के० सिंह तथा स्वयं पीड़ित तरुण चौहान के परीक्षण से पूर्व ही संपन्न कर लिया गया था। अर्थात् जिस विवेचक का परीक्षण सामान्यतः साक्ष्य के अंत में किया जाना अपेक्षित था, उसका परीक्षण प्रारंभ में ही



कर लिया गया। ऐसी स्थिति में, यदि बचाव पक्ष के आवेदन पर पीड़ित तथा अन्य साक्षियों के कथनों में उत्पन्न तथ्यों की स्पष्टता के उद्देश्य से विवेचक को धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनः प्रतिपरीक्षण हेतु विचारण न्यायालय द्वारा आहूत कर उसका परीक्षण किया गया, तो उक्त कार्यवाही को किसी भी प्रकार से अवैध नहीं कहा जा सकता।

8. इस प्रकार, अभिलेख में उपलब्ध समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित "प्रश्नाधीन आदेश" में कोई अवैधता अथवा अशुद्धता परिलक्षित नहीं होती है। अतः उसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं पाई जाती। अतः यह याचिका प्रारंभिक स्तर पर **खारिज** की जाती है।
9. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए।
10. उपरोक्तानुसार, इस दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका का निराकरण किया जाता है।

सही/-

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

पोमन